

प्रेस विज्ञापित

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए नियुक्ति हेतु सूचना

बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली, 2023 (यथासंशोधित) के आलोक में वर्ष 2024 के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किये जाने हेतु खेल नियुक्ति पोर्टल को Live कर दिया गया है। आवेदन किये जाने हेतु Link (<http://gad-ospr.bihar.gov.in>) बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के वेबसाइट पर दिनांक-05.11.2024 से 05.12.2024 तक Open रहेगा जिसके माध्यम से उत्कृष्ट खिलाड़ी द्वारा अपना आवेदन राज्य सरकार को समर्पित कर सकते हैं। उक्त के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से उपलब्ध कराये गये आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

2. इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु वैसे उत्कृष्ट खिलाड़ी पात्र हैं जो बिहार राज्य के मूल निवासी हैं। नियुक्ति हेतु न्यूनतम उम्र सीमा दिनांक-01.08.2024 को 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की सीमा नहीं होगी।

3. बिहार के निवासी किसी अन्य राज्य में या भारत सरकार या भारत सरकार के किसी संगठन एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में कार्यरत खिलाड़ी खेल के निर्धारित अर्हता को प्राप्त करते हैं तो वे भी आवेदन देने के पात्र होंगे तथा इस तरह की नियुक्ति किये जाने की स्थिति में पूर्व सेवा की गणना की जायेगी एवं कर्मी की सेवा में टूट नहीं माना जायेगा। पूर्व का वेतन स्तर कायम रहेगा।

4. निम्नांकित खेल उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ी इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के पात्र होंगे :-

सीधी भर्ती के लिए :-

क्र० सं०	पे-बैंड/स्केल का नाम	वेतन स्तर	सीधी भर्ती के लिये निर्धारित न्यूनतम खेल अर्हता
(i)	पीबी-II(9300-34800) ग्रेड पे-5400	9	ओलम्पिक खेलों में स्वर्ण/रजत/कांस्य पदक विजेता या एशियन गेम्स/कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता।
(ii)	पीबी-II(9300-34800) ग्रेड पे-4600	7	ओलम्पिक खेलों में सहभागिता या एशियन गेम्स/कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत/कांस्य पदक विजेता।
(iii)	पीबी-II(9300-34800) ग्रेड पे-4200	6	1. एशियन गेम्स/कॉमनवेल्थ गेम्स में सहभागिता या नेशनल गेम्स/सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप में स्वर्ण/रजत पदक विजेता। 2. केवल वैसे गेम्स जो ओलम्पिक गेम्स/एशियन गेम्स/कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल है।

T

(iv) (क)	पीबी-I(5200-20200) ग्रेड पे-1800/1900	1/2	1. नेशनल गेम्स/सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप में कांस्य पदक विजेता। 2. जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप में स्वर्ण/रजत/कांस्य पदक विजेता (क) उम्र 18 वर्ष के बाद आवेदन कर सकते हैं। (ख) व्यक्तिगत स्पर्धा में न्यूनतम 16 प्रतिभागी एवं दलीय स्पर्धा में संबंधित खेल से कम से कम 8 दल भाग लिये हों। 3. केवल वैसे गेम्स जो ओलम्पिक गेम्स/एशियन गेम्स/कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल हैं।
-------------	--	-----	--

ट्रायल/परीक्षण के आधार पर

(iv) (ख)	पीबी-I(5200-20200) ग्रेड पे-1800/1900	1/2	(क)नेशनल गेम्स में व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रथम आठ या क्वार्टर फाईनलिस्ट एवं दलीय स्पर्धा में सेमीफाईनलिस्ट, सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप में व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रथम छः या क्वार्टर फाईनलिस्ट एवं दलीय स्पर्धा में सेमीफाईनलिस्ट। (ख) व्यक्तिगत स्पर्धा में न्यूनतम 16 प्रतिभागी एवं दलीय स्पर्धा में संबंधित खेल से कम से कम 8 दल भाग लिये हों। (ग) केवल वैसे गेम्स जो ओलम्पिक गेम्स/एशियन गेम्स/कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल हैं।
-------------	--	-----	--

नोट: 1. दिव्यांग* खिलाड़ियों के लिये भी उपरोक्त अर्हता प्रभावी होगी।

*Para sports/deaf/cerebral palsy /autism

2. किसी भी आमंत्रण/मेमोरियल/गैरआधिकारिक चैम्पियनशिप/प्रतिस्पर्धा को मान्यता नहीं दी जायेगी।

5. **खेल अर्हता की गणना की अवधि।-**

(i) उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति हेतु, खेल उपलब्धियाँ तत्काल पिछले 2 वर्षों के अंदर की होनी चाहिये अर्थात् नियुक्ति के वित्तीय वर्ष एवं उससे पहले के दो वित्तीय वर्ष के बीच का होना चाहिये।

(ii) पदक धारक, पदक जीतने की तिथि से अधिकतम तीन वर्ष के भीतर आवेदन कर सकते हैं।

6. **न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :-**

समूह-ख के पदों पर नियुक्ति हेतु स्नातक अथवा समकक्ष, समूह-ग के लिपिकीय संवर्ग के निम्नवर्गीय लिपिकीय पदों पर नियुक्ति हेतु इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष एवं कार्यालय परिचारी के पदों पर नियुक्ति हेतु मैट्रिक अथवा इसके समकक्ष स्तर की शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य है।

राज्य सरकार की अनुमति से सीधी भर्ती के लिए योग्य खिलाड़ी यदि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारण नहीं करते/करती हों तो वैसे खिलाड़ियों को नियुक्ति की तिथि से



पांच वर्ष के अंदर उस पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हता को प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्त किया गया व्यक्ति संबंधित सेवा में पदोन्नति हेतु विचार किये जाने के लिये तब तक पात्र नहीं होगा/होगी जब तक कि वह विहित शैक्षणिक अर्हता धारण नहीं कर लेता/लेती है।

7. **चयन प्रक्रिया :-**

चयन प्रक्रिया बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली, 2023 (यथासंशोधित) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी।

8. **आरक्षण :-**

चयनित खिलाड़ी आरक्षण की दृष्टि से जिस कोटि से संबंधित होंगे, उनकी गिनती उसी आरक्षण कोटि में की जायेगी, अर्थात् आरक्षित कोटि के चयनित खिलाड़ियों की गणना संगत आरक्षित कोटि के विरुद्ध तथा गैर आरक्षित वर्ग के खिलाड़ियों की गणना गैर आरक्षित वर्ग में की जायेगी।

नोट:- विस्तृत जानकारी बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना के वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।



(मो0 सिराजुद्दीन अंसारी)
सरकार के अवर सचिव।